

123

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष/सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल,
ग्वालियर(म.प्र.)

(कैम्प इंदौर म.प्र.)

R-291-PBR-17

रा.पुनरीक्षण याचिका क्र
श्रवण दिनांक

श्रीमान न्यायालय
र.प्र.क्र 141-अ/27
सन 2015-16 से
12.11.2016 को प्रारंभ
२

1. मोहिनउद्दीन पिता सैयद मुनीर निवासी ग्राम मोहद तहसील व
जिला बुरहानपुर म.प्र.

— याचिकाकर्ता/अनावेदक क्र 1

विरुद्ध

1. हफीजा बेगम पति इसामुद्दीन मास्टर पुत्री सैयद मुनीर निवासी
ग्राम अंतुर्ली तहसील मुक्ताईनगर जिला जलगाँव महाराष्ट्र
2. शेख अकबर पिता अब्दुल समद निवासी ग्राम मोहद तहसील व
जिला बुरहानपुर म.प्र.
3. शेख जावेद पिता अब्दुल समद निवासी ग्राम मोहद तहसील व
जिला बुरहानपुर म.प्र.
4. जुलेखा बानो पति बहादुरउद्दीन पुत्री अब्दुल समद निवासी ग्राम
बहारपुरा ग्राम अंतुर्ली तहसील मुक्ताईनगर जिला जलगाँव
महाराष्ट्र
5. शकिला बानो पति आरिफ एडव्होकेट पुत्री अब्दुल समद निवासी
वायली बेस जलगाँव जामोद जिला बुलढाणा महाराष्ट्र
6. नजमा बानो पति इमरान पुत्री अब्दुल समद निवासी ग्राम बडौदा
ताल्लुका मुक्ताईनगर जिला जलगाँव महाराष्ट्र
7. फातिमा बी पति सैयद फैयाज निवासी दरगाह अली, अमळनेर
जिला जलगाँव महाराष्ट्र

— उत्तरदातागण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

यह कि अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय वृत्त
शाहपुर जिला बुरहानपुर के रा.प्र.क्र 141-अ/27 सन 2015-16 (हफीजा बेगम वि मोहीनउद्दीन) मे पारित आदेश दिनांक 08.11.2016 से
दुखी एवं पीडित होकर उक्त आदेश की वैधता एवं औचित्यता के संबध
मे यह पुनरीक्षण याचिका न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।


संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदिका

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 291-पीबीआर/17 [मौटेन 32रीन / टपीजा कतद] जिला बुरहानपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-5-2017	<p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । नायब तहसीलदार वृत्त शाहपुर जिला बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8-11-2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन पत्र को इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया है कि आवेदक की ओर से जिस आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई है वह प्रशाधीन भूमि से संबंधित नहीं है, जिसमें प्रथमदृष्टया किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>